भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 326
27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) ई-साक्षी पोर्टल का डिजिटलीकरण

326. श्री एम. के. राघवनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) ई-साक्षी पोर्टल के डिजिटलीकरण में किसी समस्या पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं में भुगतान से इंकार किए जाने पर ध्यान दिया है जहां संसद सदस्यों के पत्रों के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिन्हें उक्त पोर्टल में दर्ज नहीं किया जा सका था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 17वीं लोक सभा के कार्यकाल की शेष राशि को 18वीं लोक सभा में परिवर्तित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की उक्त पोर्टल को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की पिछले लोक सभा कार्यकाल में सेवा करने वाले सभी वर्तमान संसद सदस्यों के लिए पूर्व सांसद मॉड्यूल लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) तथा (च) संशोधित एमपीलैडस दिशा-निर्देश, 2023 और सरकार द्वारा 01.04.2023 से लागू की गई निधि प्रवाह प्रणाली के अनुसार, मंत्रालय ने 17वीं लोकसभा के माननीय सांसदों को ई-साक्षी पोर्टल पर पहले ही प्राधिकार जारी कर दिए हैं और संशोधित एमपीलैडस दिशा-निर्देश, 2023 के अनुसार माननीय सांसदों को अपनी सिफारिशें केवल ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करनी होंगी।

इसके अतिरिक्त, माननीय सांसदों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर मंत्रालय ने उन कार्यों के भुगतान के लिए ऑनलाइन समाधान यानी पूर्व एम.पी. मॉड्यूल विकसित किया है, जिनकी सिफारिश माननीय सांसदों द्वारा भौतिक रूप में की गई है और जिन्हें दिनांक 01.04.2023 से ई-साक्षी पोर्टल के लॉन्च के पश्चात उक्त पोर्टल में दर्ज नहीं किया जा सका है।

(घ) एमपीलैडस दिशा-निर्देशों के पैरा 10.5.1 में यह प्रावधान है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के मामले में, एमपीलैडस निधि की शेष राशि जो पूर्ववर्ती सांसद के कार्यों के लिए समर्पित नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान सांसद को हस्तांतरित कर दी जाएगी। नए परिसीमन के मामले में, सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

(ड़) एमपीलैडस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और माननीय सांसदों सहित हितधारकों के लिए नियमित आधार पर संशोधित दिशानिर्देशों और ई-साक्षी पोर्टल पर कार्यशाला/वेबिनार/हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, संसद के मानसून सत्र 2023 के बाद से प्रत्येक संसद सत्र के दौरान मंत्रालय द्वारा माननीय सांसदों को सूचना प्रदान करने हेतु एक कियोस्क स्थापित किया जाता है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर पोर्टल की कार्यक्षमता को बढ़ाया गया है।

******